

ida

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

विज्ञप्ति क्रमांक - 197

दिनांक- 04.10.2024

योजना क्रमांक 134 में आवासीय उपयोग के भूखण्डों को भू-स्वामी अधिकार (फ्री-होल्ड) पर व्ययन हेतु निविदा प्रपत्र



“जहां निरंतर विकास ही लक्ष्य है”

निविदा तालिका

अ.क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	विज्ञप्ति दस्तावेज	3
2	निविदा दस्तावेज	4
3	संपत्ति हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबद निर्देश (भाग—एक)	5 से 9
4	शपथ—पत्र (भाग—दो)	10 से 11
5	संपत्ति के आबंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें (भाग—तीन)	12 से 14
6	निविदा प्रपत्र (भाग—चार)	15 से 17
7	निविदादाता के लिये निर्देश	18 से 19
8	संपत्ति की जानकारी	20
8	विज्ञप्ति	21
9	नक्शा	22

विज्ञप्ति दस्तावेज

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर
7, रेसकोर्स, रोड,
इंदौर (म.प्र.)

इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक 197 दिनांक 04.10.2024 द्वारा **योजना क्रमांक 134 में आवासीय उपयोग के भूखण्डो को व्यूनतम दर प्र.व.मी.** या उससे अधिक दर पर ऑनलाईन (Online) निविदा म.प्र. शासन की वेबसाईट (पोर्टल) <https://www.vikaspradhikaran.mponline.gov.in> पर आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र म.प्र. शासन की वेबसाईट (पोर्टल) <https://www.vikaspradhikaran.mponline.gov.in> पर देखा जा सकता है। निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) का भुगतान ऑनलाईन नेट बैंकिंग/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किया जा सकेगा। अन्य किसी भी रूप में निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) मान्य नहीं होगी।

(मनीष श्रीवास्तव)
संपदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
मोबाईल नंबर 98268—45359

निविदा दस्तावेज

विज्ञप्ति क्रमांक 197 दिनांक 04.10.2024 के संदर्भ में **योजना क्रमांक 134 में आवासीय उपयोग के भूखण्डो को न्यूनतम दर प्र.व.मी. या उससे अधिक दर पर आवंटन हेतु, इच्छुक व्यक्ति उनके प्रस्ताव नीचे अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।**

निविदा दस्तावेज में निम्न चार भाग सम्मिलित हैं :—


भाग एक	:	संपत्ति हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबत निर्देश
भाग दो	:	शपथ पत्र
भाग तीन	:	संपत्ति के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें
भाग चार	:	निविदा प्रपत्र

भाग—एक : संपत्ति हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबद निर्देश

एक: निविदा तथा संपत्ति के आवंटन हेतु पात्रता

1. विज्ञाप्ति में एक संपत्ति की निविदा की प्रस्तुति हेतु केवल एक निविदा प्रपत्र ही लागू होगा।
2. यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता विज्ञाप्ति की एक से अधिक संपत्ति हेतु निविदा लगाने का इच्छुक हो तो उसे पृथक—पृथक निविदा प्रपत्र क्रय करने होंगे।
3. अवयस्क द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा को ग्रहण नहीं किया जाएगा तथा उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
4. ऐसा कोई व्यक्ति जिसे, किसी विकास प्राधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित संपत्ति का आवंटन किया जा चुका हो, इन नियमों के अधीन उसी विकास प्राधिकरण में किसी अन्य आरक्षित सम्पत्ति या किसी अन्य श्रेणी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का पात्र नहीं होगा।
5. निविदा प्रपत्र/निविदा दस्तावेज शुल्क गैर वापसी योग्य रहेगा।

दो: ऑनलाईन निविदा दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रक्रिया :-



इस्तेमाल से वो बिड सबमिट कर सकते हैं



आवेदक को अपना लॉग इन कर सबमिट
बिड पर विलक करना होगा और अपनी
बिड प्रस्तुत करनी होगी



बिड प्रस्तुत करने के बाद वह आवेदन
आगामी कार्यवाही के लिए विभाग के
लॉग-इन पर दिखाई देगा

तीनः निविदा की वैधता, निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) तथा निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) का समपहरण

1. निविदाएं, निविदा प्राप्ति की नियत तारीख से 90 दिवस की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेंगी।
2. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को विज्ञप्ति/निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा। अन्य किसी भी रूप में (अर्नेस्टमनी) निविदा प्रतिभूति मान्य नहीं होगी।
3. अन्य निविदा प्रस्तुतकर्ता, जिनकी निविदाएं स्वीकार न की गई हों, निविदा खोलने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) वेबसाईट पोर्टल से सीधे ऑनलाईन लौटा दी जाएगी।
4. ऐसे निविदा प्रस्तुतकर्ता जिसका प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, जो या तो प्रस्ताव को वापस लेने का इच्छुक हो अथवा जिसके द्वारा निविदा दस्तावेज में भुगतान के निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट समयावधि के भीतर बकाया रकम का भुगतान करने में असमर्थ रहा हो अथवा जिसके द्वारा पात्रता से संबंधित तथ्यों/जानकारी के संबंध में मिथ्या प्रस्तुतीकरण किया जाना पाया गया हो, की निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) समप्रवृत्त कर ली जाएगी।
5. (अ) यदि कोई आवेदक, अपनी निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् विज्ञप्ति में उल्लेखित निविदा प्रस्तुत करने की विहित अंतिम तारीख से पूर्व अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो आवेदक द्वारा पंजीयन राशि के रूप में जमा की गई राशि में से 10 प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात् शेष राशि आवेदक को लौटा दी जाएगी। निविदा प्रपत्र का शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।
(ब) यदि कोई आवेदक अपनी निविदा प्रस्तुत करने के बाद निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तथा निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक के बीच अपना आवेदन वापस लेता है तो आवेदक द्वारा जमा किए गए पंजीकरण फीस में से 20 प्रतिशत रकम घटाने के पश्चात् शेष रकम आवेदक को वापस की जाएगी।

निविदा खुलने या संपत्ति के आवंटन आहरण पर मांग पर निविदा के साथ जमा की गई रकम को वापस नहीं लौटाया जाएगा तथा इसे राजसात कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(स) यदि कोई आवेदक, अपना निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विज्ञप्ति में उल्लेखित निविदा का आहरण किए जाने के उपरांत अपना आवेदन वापस ले लेता है तो आवेदक द्वारा पंजीयन राशि के रूप में जमा की गई राशि को समप्रवृत्त कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

चार : प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी/अभिलेख

निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) हेतु राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से किया गया।

1. अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज़।

अ. वैयक्तिक/संयुक्त आवेदकों हेतु

- ए) ऐसा व्यक्ति जो आवेदक की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हो उसे निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का शपथ—पत्र जिसमें निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम तथा पता, प्राधिकृत व्यक्ति से उसका संबंध तथा वे कारण, जिनके द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाना आवश्यक हो गया हो, (यदि लागू हो) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।
- बी) स्वयं/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ—पत्र (भाग—दो)।
- सी) जहां किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित संपत्ति के लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही हो, वहां विभिन्न आरक्षण संबंधी श्रेणियों हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार होगे। जहां आरक्षित श्रेणी की संपत्ति हेतु निविदा को सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण—पत्र के बिना प्रस्तुत किया गया हो, प्रस्तुत निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अ.क्र.	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
3	अनुसूचित जनजाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
4	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
7	प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए	प्रशासकीय अधिकारी इ.वि.प्रा.
8	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/लोकतंत्र सेनानियों या उनके जीवित न होने की दशा में उनकी पत्नी/पति के लिए	जिला कलेक्टर / राज्य शासन
9	सेना के अधिकारी/भूतपूर्व सेना अधिकारी	जिला, सैनिक कल्याण बोर्ड
10	पत्रकार रिपोर्टर के लिए	जन संपर्क विभाग से अधिमान्यता का प्रमाण पत्र
11	दिव्यांगों के लिए	जिला मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
12	सांसद/विधायक सदस्य के लिये	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

- डी) निविदादाता द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- ई) संपत्ति हेतु निविदा के प्रस्तुतिकरण हेतु अनुदेशों की हस्ताक्षरित प्रति (भाग—एक) और संपत्ति के आबंटन हेतु निबन्धन एवं शर्त (भाग—तीन)
- एफ) निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कार्ड/पेन कार्ड/वोटर आयडी कार्ड/ड्राईविंग लायसेंस की स्व—हस्ताक्षरित फोटो कॉपी।
- जी) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए)

- ब. किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी/संस्था/फर्म/इकाई (सत्ता) हेतु
- ए) इकाई द्वारा निविदा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधी संकल्प।
 - बी) निविदा प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संलग्न प्रपत्र (**भाग—दो**) के अनुसार शपथ—पत्र।
 - सी) इकाई के निगमन (incorporation) का प्रमाण (संस्था के ज्ञापन तथा लेख/भागीदारी विलेख / न्यास विलेख/सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज आदि)
 - डी) संपत्ति के लिये निविदा की प्रस्तुती हेतु अनुदेशों की हस्ताक्षरित प्रति (**भाग—एक**) तथा संपत्ति के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्त (**भाग—तीन**)
 - ई) अन्य कोई दस्तावेज (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए)
3. आवश्यक अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों, निविदा दस्तावेज शुल्क तथा निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) के बिना प्रस्तुत निविदा अस्वीकार योग्य है। तथापि, प्राधिकरण अपने अनन्य विवेकाधिकार से किसी जानकारी के बारे में मांग कर सकेगा, जैसा कि वह दस्तावेज के सत्यापन/उनकी पर्याप्तता के बारे में पुष्टि और/या उनके सही होने के बारे में आवश्यक समझे।

पांच: निविदा प्रस्तुत की नियत तारीख तथा निविदा प्रपत्रों को खोलना :—

1. एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर निविदा प्रस्तुत करने की प्रमुख तिथियां :—

अ. क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की आरम्भ तिथि एवं समय	10.10.2024	14:00 hrs
2	ऑनलाईन अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति राशि) जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	28.10.2024	18:00 hrs
3	ऑनलाईन आवेदन एवं ऑफर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	04.11.2024	18:00 hrs
4	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	05.11.2024	11:30 hrs
5	सफल निविदादाताओं का ऑनलाईन वित्तीय प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	13.11.2024	12:30 hrs

2. दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात, केवल पात्र पाये गये निविदा प्रस्तुतकर्ताओं की निविदाओं को खोला जाएगा।

छह: उच्चतम निविदा प्रस्तुतकर्ता की घोषणा :—

1. संपत्ति के लिये आरक्षित दर/लागत दर से नीचे की निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।
2. सामान्यतः, ऐसे उच्चतम निविदा प्रस्तुतकर्ता को, जो आरक्षित मूल्य से अधिक की दर प्रस्तुत करता है, निविदा को खोलने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अध्यधीन रहते हुए चयनित निविदा प्रस्तुतकर्ता घोषित किया जाएगा।
3. प्रस्तुत की गई निविदा का अंतिम परिणाम निविदा खोलने के अधिकतम 90 दिवस या इसके पूर्व के भीतर घोषित किया जाएगा तथा इसे प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
4. प्राधिकरण को किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

सातः पते में परिवर्तन तथा निविदा प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति का पता लगाना एवं संपत्ति का भौतिक सत्यापन :—

1. निविदा प्रस्तुतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा प्रस्तुतकर्ता से पत्र-व्यवहार हेतु उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को लिखित में सूचित किया जाएगा।
2. प्राधिकरण किसी भी प्रकार के पते में परिवर्तन के फलस्वरूप या, किसी प्रकार के डाक संबंधी विलंब के कारण किसी कार्यवाही में विलंब के लिये किसी भी रीति में उत्तरदायी नहीं होगा।
3. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे प्राधिकरण की वेबसाईट पर निविदा के संबंध में किसी भी सूचना के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें।
4. निविदा प्रस्तुतकर्ता को परामर्श दिया जाता है कि वे निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के पश्चात निविदा प्रस्तुत करें। निविदा स्वीकृति पश्चात कोई भी आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी।
5. सम्पत्ति का आधिपत्य ‘जैसा है, जहां है’ के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा।

भाग—दो : शपथ—पत्र हेतु प्रपत्र

(शपथ—पत्र को रुपये 100/- के गैर—न्यायिक स्टाम्प (Non-judicial stamps) पर सम्यक् नोटरी प्रमाणीकरण पश्चात् प्रस्तुत किया जाए)

शपथ—पत्र (Affidavit)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों के संबंध में अपेक्षणीय)

1. मैं, शपथकर्ता शपथ पत्र पर निम्नानुसार कथन करता / करती हूँ कि :

मेरा नाम :

पिता / पति का नाम :

पता :

व्यवसाय :

आयु :

वार्षिक आय :

2. यह कि मैं ————— (नाम) ————— (निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम) की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ तथा मुझे इकाई के संकल्प के अनुसार, ————— की ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है (ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता कोई कम्पनी / फर्म / इकाई है)।
3. यह कि मैं ————— नाम ————— (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम) को संलग्न शपथ—पत्र के अनुसार मेरी ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत कर रहा हूँ (ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति को निविदा प्रस्तुतकर्ता की ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है)
4. यह कि मुझे मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी प्राधिकरण की ओर से सम्पत्तियों की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत कोई संपत्ति आवंटित नहीं की गई है (ऐसे प्रकरण में लागू जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो)।
5. यह कि निविदा प्रपत्र के अन्तर्गत प्रदान की गई समस्त जानकारी सही है तथा इसमें किन्हीं भी सारभूत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।

6. यह कि मैंने निविदा संबंधी निबंधन तथा शर्तों तथा संपत्ति के व्ययन के बारे में प्राधिकरण के नियमों को पूर्णतः समझ लिया है तथा ये निबन्धन तथा शर्तों/नियम मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं।
 7. यह कि यदि निविदा के अन्तर्गत मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई किसी जानकारी को गलत/दुर्व्यपदेशनकारी पाया जाता है, तो प्राधिकरण को मेरी निविदा को अस्वीकार करने तथा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समप्रहृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा तत्पश्चात् इस निविदा के अन्तर्गत आवंटित की गई संपत्ति को भी रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा।
 8. यह कि यह शपथ—पत्र प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित संपत्ति अर्थात् संपत्ति क्रमांक ————— के आबंटन हेतु निविदा प्रस्तुत करने के लिए मेरे द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :
.....

शपथकर्ता (निविदा प्रस्तुतकर्ता / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

सत्यापन

मैं, पिता/पति श्री सत्यापित करता हूं/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त वर्णित जानकारी मेरे व्यक्तिगत जानकारी, व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। यह सत्यापन आज दिनांक ————— को किया गया।

.....

शपथकर्ता
(निविदा प्रतिकर्ता / पाधिकर दस्तावेजकर्ता)

- जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ-पत्र में शामिल न करें।
 - ऊपर दिये गये प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया शपथ-पत्र मान्य नहीं होगा।

भाग—तीनः संपत्ति के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें

(Terms and Conditions for Allotment of Property)

एकः भुगतान की शर्तें

1. सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा की स्वीकृति के बाद आरक्षण—पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर कुल उद्धरित अधिमूल्य (प्रीमियम) की पूर्ण राशि अथवा प्रथम प्रारंभिक प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि (निविदा प्रतिभूति राशि / अर्नेस्ट मनी के समायोजन पश्चात) जमा करनी होगी।
2. सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता को आवेदन की स्वीकृति के बाद आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर रूपये 1000/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर (non-judicial stamps) अनुबन्ध—पत्र की एक प्रति, जिसमें आवंटन की निबन्धन तथा शर्तें शामिल होंगी, जिसे जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थिती में उपरोक्त निबन्धन तथा शर्तें एकपक्षीय रूप से आंवंटिती पर बाध्यकारी होगी।
3. निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की प्रारंभिक 25 प्रतिशत राशि एवं अनुबन्ध—पत्र की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के बाद ही आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।
4. सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता आरक्षण पत्र जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में प्रथम 25 प्रतिशत की राशि का भुगतान जमा करने में असफल रहता है तो स्वमें आरक्षण रद्द होकर पंजीयन राशि समपहृत (राजसात) हो जावेगी।
5. (अ) प्रीमियम की शेष 75 प्रतिशत राशि तीन माह की अवधि में अर्थात आरक्षण पत्र जारी होने की दिनांक से कुल 4 माह की अवधि में जमा करनी होगी। आवंटिती द्वारा मांग करने पर व्ययन नियम,2018 एवं यथासंशोधित दिनांक 09.04.2021 के नियम 11 (एक) अनुसार राशि अधिकतम 8 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान, 10 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करनी होगी। परन्तु उक्त मांग उपरोक्तानुसार आरक्षण पत्र जारी होने की दिनांक से 4 माह की अवधि में ही करना होगी।
(ब) प्रीमियम की राशि के संबंध में मांग अनुसार आवंटी यदि 2 वर्ष की अवधि में राशि जमा करने की सुविधा की मांग करता है तो उक्त अवधि का संपत्तिकर एवं अन्य का वहन आवंटी द्वारा ही किया जावेगा, परन्तु आवंटी को कब्जा सम्पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात ही सौपा जावेगा।
6. उपरोक्त अनुसार दी गई निर्दिष्ट समयवृद्धि के भीतर निविदा प्रस्तुतकर्ता भुगतान जमा करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आरक्षण को रद्द तथा निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समपहृत कर सकेगा।
7. (अ) यदि आवंटी आवंटन के प्रति संहरण के लिए नोटिस प्राप्त होने के एक माह के भीतर विहित अनुसूची अनुसार समर्त लंबित किस्तों का मय ब्याज तथा दांडिक ब्याज (संबंधित किस्त की देयता तिथि से 10 प्रतिशत की दर पर) का भुगतान कर देता है तो विकास प्राधिकरण आवंटन का प्रति संहरण संबंधी नोटिस वापस ले सकेगा। (**व्ययन नियम,2018 के नियम 12 एवं यथा संशोधित दिनांक 09.04.2021 अनुसार**)
(ब) तथापि, यदि उपरोक्त उप नियम (2) में तथा उल्लेखित भुगतान नहीं किया जाता है तो विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा किस्त भुगतान न किए जाने के कारण आवंटन निरस्त किए जाने की दशा में प्रीमियम राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि विकास प्राधिकरण समपहृत कर लेगा तथा शेष राशि आवंटी को लौटा दी जाएगी आवंटी को समपहृत की गई राशि पर ब्याज का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। (**व्ययन नियम,2018 के नियम 12 एवं यथा संशोधित दिनांक 09.04.2021 अनुसार**)
8. यदि संपत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञप्ति में सांपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम पाया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।
9. यदि संपत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञप्ति में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से अधिक पाया जाता है, तो बढ़े हुवे क्षेत्रफल की प्रीमियम की राशि की गणना व्ययन नियम,2018 के नियम 32 के अनुसार की जावेगी।
10. यदि किसी विशिष्ट भूमि का आवंटिती उसे आवंटित किये गये संपत्ति से अनुलग्न भूमि(appurtenant land) के आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत करता है तो प्राधिकरण अपने पूर्ण विवेकाधिकार तथा निर्णय

के अधीन ऐसी अतिरिक्त भूमि का आवंटन, भूमि का आवंटन तारीख को प्रचलित मार्ग दर्शक दर पर अथवा ऐसी दर पर जिस पर आवंटिती द्वारा पूर्व धारित संपत्ति आवंटित किया गया हो, इनमें से जो भी अधिक हो, कर सकेगा।

11. आवंटिती/भू—स्वामी शासन, नगरपालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों/शुल्कों/अभिकरणों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तिथि से भुगतान हेतु भी उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।

दो: सम्पत्ति को भूस्वामी अधिकार (Bhuswami Adhikar) पर प्रदान करने संबंधी शर्तें

1. सम्पत्ति का आधिपत्य 'जैसा है, जहां है' के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा (जब तक अन्यथा उपबंधित न हो) तथा प्राधिकरण भूमि/संपत्ति पर किसी भराई/समतलन के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
2. संपत्ति की प्रीमियम (अधिमूल्य) की संपूर्ण राशि एवं अन्य देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही प्राधिकरण के संपदा अधिकारी वर्ग-2 द्वारा संपत्ति के वास्तविक अधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तारीख तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी। ग्राही की अनुपस्थिति की दशा में संपत्ति का भौतिक रूप से अधिग्रहण किया गया है, ऐसा माना जावेगा। परन्तु आवंटी को भू—स्वामी अधिकार विलेख का निष्पादन पूर्ण अधिमूल्य की राशि की प्राप्ति के बाद ही किया जावेगा।
3. अधिमूल्य (प्रीमियम) की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रोफार्मा के अनुसार आवंटिती द्वारा भूस्वामी अधिकार विलेख (Bhuswami Adhikar)/दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर की तिथि से तीन माह के भीतर आवंटिती/भूस्वामी अधिकार धारी (Bhuswami Adhikar) को अनिवार्यतः पंजीयक (Registrar) के कार्यालय से भूस्वामी अधिकार विलेख का पंजीकरण कराना होगा। भूस्वामी अधिकार धारी अभिलेख के पंजीकरण से संबंद्ध समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। भूस्वामी अधिकार धारी को विलेख के पंजीकरण से तीस दिवस के भीतर भूस्वामी अधिकार विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. भूस्वामी अधिकार/भू—स्वामी जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक हो, को प्राधिकरण कार्यालय में इस हेतु अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
5. जहां संपत्ति का अंतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यागमन/वसीयत (natural devolution of heirship/will) के अनुग्रह में चाहा गया हो तो वहां कोई अंतरण शुल्क देय नहीं होगा।

तीन: आवंटित सम्पत्तियों के संबंध में विकास तथा भवन निर्माण विनियम

1. आवंटित की गई सम्पत्ति के पदाभिहित उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं होगा।
2. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके पदाभिहित उपयोग से पृथक होना पाया जाता है और/या कोई निर्माण गतिविधि स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन कर अथवा स्वीकृत नक्शों के बगैर ही सम्पन्न की जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में, भूस्वामी अधिकार धारी/भू—स्वामी पर किसी सांविधिक अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा उस पर कार्यवाही की जावेगी तथा उसे अधिरोपित किसी शास्ति का भुगतान भी करना होगा।
3. भूस्वामीत्वधारी कर के सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगर पालिक निगम अथवा सेवा प्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जलप्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां भू—स्वामी नगर पालिक निगम के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।
4. भूस्वामी अधिकार धारी/भू—स्वामी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

चार: आवंटन का अंतरण

"व्ययन नियम 2018 के नियम 36" अनुसार एवं समय समय पर प्रचलित संशोधित व्ययन नियम अनुसार मान्य होगी।

पॉच : अन्य निबन्धन तथा शर्तें

1. यदि निविदा प्रपत्र, आवंटन एवं इकरारनमा के निबन्धनों तथा शर्तों में तथा “मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्ययन नियम 2018” के अन्य किन्हीं नियमों/सांविधिक उपबन्धों में कोई विसंगति उदभूत होती है तो पश्चातवर्ती उपबन्ध अभिभावी होगे तथा आवंटिती/भू-स्वामी पर बन्धनकारी होगे।
2. यदि योजना के अन्तर्गत कोई विशेष निबन्धन तथा शर्तों का प्रावधान किया गया हो, जैसा कि तत्संबंधी विज्ञप्ति में दर्शाया गया हो, निविदा प्रस्तुतकर्ता/सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता पर उपरोक्त वर्णित शर्तों के अतिरिक्त बन्धनकारी होंगी।
3. निविदा प्रपत्र, आवंटन एवं इकरारनमा के निबन्धन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।
4. जहां कहीं शब्द “प्राधिकरण (Authority)” उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधिगण, नामनिर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञापित समनुदेशिती (Permitted assignees) भी शामिल होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द भूस्वामी अधिकार धारी/भू-स्वामी (Bhuswami Adhikar) उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा। कंपनी/फर्म/सोसायटी के प्रकरणों में अनुज्ञापित समनुदेशिती (Permitted assignees) भी शामिल होंगे।

छह: विशेष शर्तें

1. विज्ञप्ति के अन्तर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कोई संशोधन तथा भाग—एक भाग—दो तथा भाग—तीन व भाग—चार निविदा दस्तावेज के अभिन्न भाग हैं। निविदा प्रस्तुतकर्ता यह भी स्वीकार करते हैं कि प्राधिकरण द्वारा वैबसाईट में अधिसूचना के माध्यम से, या किसी अन्य प्रकार से भी निविदा दस्तावेज में जारी किये गये कोई संशोधन निविदा प्रस्तुतकर्ता की जानकारी में हैं। यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता ऐसे किसी संशोधन के बारे में अवगत न हो तो प्राधिकरण इस कारण से निविदा प्रस्तुतकर्ता को हुई किसी हानि के लिये उत्तरदायी न होगा। प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति के संबंध में पत्राचार ई—मेल आई.डी. पर सूचित किया जा सकेगा जिसे आपको सूचना प्राप्त हो गई है, यह माना जावेगा।

दिनांक-

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर
नाम _____

भाग चार : निविदा प्रपत्र
योजना क्रमांक 134 में आवासीय उपयोग के भूखण्डो को व्यूनतम दर प्र.व.मी. या
उससे अधिक दर पर क्यन
निविदा आमंत्रण प्रपत्र

प्रति,

सम्पदा अधिकारी
 इन्दौर विकास प्राधिकारी,
 इन्दौर (मध्य प्रदेश)

निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम

निविदा
 प्रस्तुतकर्ता के
 पासपोर्ट आकार
 का फोटो यहां
 चिपकाएं

महोदय,

आपके विज्ञप्ति क्रमांक 197 दिनांक 04.10.2024 के संदर्भ में, जो योजना क्रमांक 134 में आवासीय उपयोग के भूखण्डो को भूस्वामी अधिकार के आधार पर संपत्ति के आवंटन के लिए है। इस निविदा प्रपत्र के एकीकृत भाग के रूप में आवासीय उपयोग के संपत्ति को आवंटन हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहता हूं/चाहते हैं। मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा प्रपत्र के सभी निबन्धनों तथा शर्तों को पढ़कर स्पष्टतः समझ लिया गया हैं तथा पूर्णतः विधिवत् स्वीकार कर लिया गया है तथा उनका पालन करने हेतु सहमति व्यक्त करता हूं/करते हैं एवं इस निविदा प्रपत्र के निबन्धनों तथा शर्तों की विधिवत् हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न कर अपने बारे में वांछित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूं / रहे हैं :

निविदादाता का विवरण

- | | | |
|---|---|--------|
| 1)(अ) निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम | : | 1..... |
| 2) | : | 2..... |
| 1)(ब) पिता/पति का नाम | : | 1..... |
| 2) | : | 2..... |
| 2)(अ) यदि निविदा कम्पनी/फर्म/किसी अन्य संस्था के नाम से प्रस्तुत की जा रही है तो इसका नाम लिखें | : | |
| 2)(ब) निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म/कम्पनी के निदेशक/निदेशकों के नाम (कम्पनी/फर्म/किसी अन्य संस्था के प्रकरण में) | : | |
| 3) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता | : | |
| | | |
| | | |

दूरभाष/मोबाइल

ई—मेल

पिनकोड़.....

(कार्यालय).....निवास).....

- 2) हमने यह निविदा प्रारूप विज्ञप्ति अंतर्गत ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया गया है ।
- 3) मेरी/हमारी निविदा इसके प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिवस की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेंगी ।
- 4) मैं/हम अपनी निविदा के संबंध में निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी), के रूप में, का ऑनलाईन नेट बैंकिंग/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किया गया है। मुझे/हमें यह भी संज्ञान है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा अपरिवर्तनीय (Irrevocable) है तथा यदि हमारे द्वारा इसे प्रतिसंहृत किया जाता है तो इस निविदा के साथ जमा की गई निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) समप्रवृत्त कर ली जाएगी ।
- 5) मैं/हम यहां यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि (online) निविदा में प्रदत्त समस्त जानकारी सत्य तथा सही है तथा प्रदत्त की गई जानकारी के बारे में पूर्ण दायित्व लेता हूं/लेते हैं तथा यह सहमति भी प्रदान करता हूं/करते हैं कि प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त जानकारी, जैसी कि आवश्यक हो अथवा निविदा को पूरक किये जाने के संबंध में अथवा इसे सत्यापन किये जाने बाबत् चाही जाने पर हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि इस निविदा की अर्हताओं के अनुसार इस निविदा के लिये अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योग्यता धारित करता हूं/करते हैं। यह भी अवगत है कि हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत की गई जानकारी गलत/तथ्यों का गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण (Misrepresentation of facts) पाया जाता है अथवा भुगतान की शर्तों के अनुसार राशि जमा करने में असफल रहते हैं तो इन्दौर विकास प्राधिकरण को हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा को निरस्त करने का तथा निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समवृत्त करने का अधिकार होगा ।
- 6) मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि इन्दौर विकास प्राधिकरण इस निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा न ही वह किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य है तथा न ही निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को निविदा प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किये जाने हेतु बाध्य है तथा यह भी कि वह बिना कोई कारण दर्शाये अथवा अन्यथा हमारी निविदा को रद्द कर सकता है तथा एतद्वारा किसी भी कारण से, भले वह जो भी हो, से इसे चुनौती प्रदान करने संबंधी हमारे अधिकार के अधित्यजन (waive) का अधिकार रखता है ।
- 7) मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से भिन्न ऐसे मामलों में, जो मुझे/हमें न तो किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तथा न ही किसी नियामक प्राधिकरण ने मुझे/हमें आरोपी ठहराया है तथा न ही मेरे/हमारे विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये हैं, जो इस निविदा के लिये आवेदन किये जाने बाबत मेरी/हमारी पात्रता के बारे में किसी प्रकार का सन्देह प्रकट कर सके या किसी गंभीर अपराध से संबद्ध हो, जो समाज की नैतिक भावना का उल्लंघन करता हो। मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों में सरकार के किसी अभिकरण द्वारा मुझे/हमें न तो कोई आरोप-पत्र जारी किया है तथा न ही किसी न्यायालय द्वारा मेरे/हमारे द्वारा किये गये किसी अपराध के संबंध में मुझे/हमें दोषी ठहराया गया है ।
- 8) मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम आवंटित संपत्ति का उपयोग भूस्वामी अधिकार (Bhuswami Adhikar) के निवंधनों तथा शर्तों एवं राज्य के और/या परिनियम के अन्तर्गत गठित किसी अन्य अभिकरण की प्रयोज्य विधियों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करुंगा/करेंगे। हमारे द्वारा ऐसे भूस्वामी अधिकार के समस्त निवंधनों तथा शर्तों से सहमति भी व्यक्त की जाती है जिसका निष्पादन संपत्ति का आवंटन होने पर किया जाएगा ।
उल्लंघन की दशा में आवंटन भूस्वामी अधिकार विलेख की शर्तों के लिये रद्द करने संबंधी अधिकार प्रयोज्य विकास नियंत्रण विनियम, भवन निर्माण उपविधियों (Building bye-laws), भवन निर्माण विनियमों का अनुसारण, शुल्क, दरों तथा करों के भुगतान के दायित्व जैसा कि अंतर्गत प्रयोज्य किसी विधि के अन्तर्गत संपत्ति को लागू हो ।

- 9) मैं/हम, सम्पत्ति के बारे में मेरी/हमारी बिना शर्त तथा अनर्हित (unconditional and unqualified) अपनी निविदा निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूं/करते हैं :

संपत्ति क्रमांक (अंकों में)	संपत्ति क्रमांक (शब्दों में)	लागत मूल्य (अंकों में)	लागत मूल्य (शब्दों में)
दर	केवल ऑनलाईन वेबसाईट पर दर्ज करना है, यहां पर नहीं।		

10)(अ) मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि सम्पत्ति का क्षेत्रफल संपत्ति के घोषित क्षेत्रफल से कम पाये जाने की दशा में, निविदा की कुल राशि का समायोजन तदनुसार आनुपातिक दर के अनुसार किया जाएगा।

(ब) यदि संपत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञप्ति में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से अधिक पाया जाता है, तो बढ़े हुवे क्षेत्रफल की प्रीमियम की राशि की गणना निविदा प्रपत्र के भाग—तीन के कंडिका—9 के अनुसार की जावेगी।

11) मैं/हम निविदा राशि की अवशेष राशि के भुगतान से संबंधित निबंधन तथा शर्तों से सहमत हैं तथा मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की अदायगी में विलंब/चूक की दशा में उस पर प्रयोज्य ब्याज दरों तथा लागू शास्तियों/अर्थदण्ड का भुगतान किये जाने की सहमति भी व्यक्त करता हूं/करते हैं।

12) मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि संपत्ति क्रमांक तथा निविदा दरों का रूपये प्रति वर्ग मीटर में अंकों तथा शब्दों में उल्लेख किया जाना निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य है।

13) मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि निविदा प्रपत्र में नाम और संपत्ति संख्या में लिप्तलेखन (overwriting) या त्रुटि या परिवर्तन होने पर निविदा प्रस्ताव को अविधिमान्य बना देगा।

उपरोक्त साक्ष्य में, मैं/हम निविदा प्रपत्र की शर्तों के अधीन एवं के अनुसार सम्पत्ति के आवंटन के संबंध में यह निविदा प्रस्तुत करता हूं/करते हैं।

भवदीय,

दिनांक :

.....
निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

स्थान :

.....
निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

यदि निविदा प्रस्तुत करने वाली कोई कम्पनी/संस्था/किसी अन्य परिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था हो, उसकी मुद्रा (सील) लगाई जाए :

निविदादाता के लिये निर्देश

(अ) सामान्य निर्देश

1— ई-टेण्डरिंग में भाग लेने हेतु प्रक्रिया

आवेदक स्वयं अथवा किसी भी एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क सेन्टर से टेण्डर भर सकता है। निविदा में भाग लेने के लिये सर्वप्रथम आवेदक को पोर्टल पर लॉग—इन बनाकर अपनी प्रोफाईल में जानकारी दर्ज करना होगी तथा प्रोफाईल में लॉग—इन करने के बाद आवेदक एप्लीकेशन फार्म भर सकता है। पोर्टल पर पूर्ण निविदा प्रपत्र भरकर स्केन कॉपी अपलोड करने का प्रावधान नहीं है। आवेदक को पोर्टल पर ही निविदा प्रपत्र की शर्तें स्वीकार है, के संबंध में स्वीकृति हेतु यस बटन को सिलेक्ट करना होगा। आवेदक को आवश्यक दस्तावेज जैसे आय.डी. प्रुफ, शपथ पत्र, फर्म/कम्पनी होने की दशा में उससे संबंधित दस्तावेज स्केन कर अपलोड करने होंगे। एप्लीकेशन फार्म सबमिट करने के पश्चात आवेदक फार्म फीस तथा अमानत राशि का भुगतान पोर्टल पर दिये गये विकल्पों के माध्यम से कर सकता है। भुगतान करने के पश्चात बिड आय.डी. प्राप्त होगी जिसके उपयोग से आवेदक बिड सबमिट कर सकता है। बिड प्रस्तुत करने के पश्चात आवेदन आगामी कार्यवाही के लिये विभाग के लॉग—इन पर दिखाई देगा।

2— निविदा से संबंधित समस्त व्यय

निविदा तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में जो भी व्यय होगा वह निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा एवं उक्त व्यय के संबंध में निविदादाता को कोई भी कानूनी वाद/दावा प्राधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।

3— संपत्ति का भौतिक सत्यापन

निविदा प्रस्तुतकर्ता को परामर्श दिया जाता है कि वे निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करें। निविदा स्वीकृति पश्चात् कोई भी आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी।

(ब) निविदा दस्तावेज

1— निविदा दस्तावेज की विषय सूची

निविदा प्रपत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज सम्मिलित है :

- 1) निविदा आमंत्रण विज्ञप्ति
- 2) शपथ पत्र
- 3) संपत्ति के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें
- 4) निविदा आमंत्रण प्रपत्र
- 5) निविदादाता के लिये निर्देश
- 6) संपत्ति की जानकारी
- 7) निविदा विवरण

2— निविदा विज्ञप्ति/दस्तावेजों का संशोधन

1) निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के पूर्व प्राधिकारी द्वारा निविदा विज्ञप्ति/दस्तावेज में यदि कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो वह सुधार/संशोधन समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा केवल एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।
2) सभी सुधार/संशोधन निविदा प्रपत्र/दस्तावेज के अभिन्न अंग होंगे।

(स) निविदा प्रपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1— निविदादाता आमंत्रित निविदा विज्ञप्ति/दस्तावेज में उल्लेखित प्रमुख तिथियों के अनुसार ही अपनी निविदा अपलोड करें।

2— निविदा दस्तावेज

निविदादाता आमंत्रित निविदा विज्ञप्ति/दस्तावेज में उल्लेखित आवश्यक दस्तावेज को वेबसाईट पर अपलोड करें।

3— भाषा

निविदा प्रपत्र एवं अन्य पत्राचार तथा निविदा दस्तावेज की भाषा अंग्रेजी या हिन्दी में होगी जो प्राधिकारी एवं निविदादाता पर समान रूप से लागू होगी। कोई दस्तावेज जो अन्य भाषा में हो तो उसे हिन्दी या अंग्रेजी में अनुवाद कर प्रस्तुत करना होगा।

4— वित्तीय बोली (प्रीमियम)

निविदादाता को संपत्ति का ऑफसेट मूल्य केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा। हार्डकॉपी अर्थात् भौतिक दस्तावेजों के साथ संपत्ति का ऑफसेट मूल्य प्रस्तुत नहीं करना है।

5— निविदा की वैधता

निविदाएं, निविदा प्राप्ति की नियत तारीख से 90 दिवस की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेंगी।

6— निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी)

- 1) निविदा प्रस्तुतकर्ता को विज्ञप्ति/निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) ऑनलाईन जमा करना होगी।
- 2) निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) की राशि का भुगतान केवल ऑनलाईन किया जाना होगा।
- 3) निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) की राशि के भुगतान किये बिना प्रस्तुत निविदा अस्वीकार होगी।
- 4) अन्य निविदा प्रस्तुतकर्ता, जिनकी निविदाएं स्वीकार न की गई हों, निविदा खोलने की तारीख से 30 दिन के भीतर निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) की राशि लौटा दी जावेगी।

(द) निविदा को प्रस्तुत करना

निविदादाता आमंत्रित निविदा विज्ञप्ति/दस्तावेज में उल्लेखित प्रमुख तिथियों के अनुसार ही अपनी निविदा ऑनलाईन अपलोड करें।

(इ) निविदा प्रपत्रों को खोलने की प्रक्रिया

- 1) निविदा खोलने के प्रथम चरण में निर्धारित दिनांक व समय अनुसार ऑनलाईन निविदाएं खोली जाकर निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा।
- 2) आवश्यक अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों, निविदा दस्तावेज शुल्क तथा निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) के बिना प्रस्तुत निविदा अस्वीकार होगी।
- 3) दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात् पात्र पाये गये निविदा प्रस्तुतकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव निर्धारित दिनांक व समय अनुसार खोले जावेंगे।
- 4) प्रस्तुत की गई निविदा का परिणाम प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।



विज्ञप्ति क्रमांक 197

दिनांक 04.10.2024

योजना क्र. 134 में आवासीय उपयोग के भूखण्डों की जानकारी

अ. क्र.	भूखण्ड क्रमांक	उपयोग	क्षेत्रफल प्र.व.मी. में	आरक्षण श्रेणी	न्यूनतम दर रु. प्र.व.मी. में	अमानत राशि रु. लाख में
1	159—बी कार्नर+पार्क	आवासीय	133.39	सामान्य	77000	10.27
2	160—बी कार्नर+पार्क	आवासीय	133.39	सामान्य	77000	10.27
3	82—बी	आवासीय	112.50	सामान्य	70000	7.87
4	83—बी, पार्क के सामने	आवासीय	112.50	सामान्य	77000	8.66
5	14—डी	आवासीय	75.00	सामान्य	70000	5.25
6	15—डी	आवासीय	75.00	सामान्य	70000	5.25
7	17—डी	आवासीय	75.00	सामान्य	70000	5.25
8	18—डी	आवासीय	75.00	सामान्य	70000	5.25
9	47—एफ	आवासीय	75.00	सामान्य महिला	70000	5.25
10	19—डी	आवासीय	75.00	अनु.जाति	70000	5.25
11	21—डी	आवासीय	75.00	अनु.जाति	70000	5.25
12	16—डी	आवासीय	75.00	अ.ज.जा.	70000	5.25
13	26—डी	आवासीय	75.00	अ.ज.जा.	70000	5.25
14	25—डी	आवासीय	75.00	पिछड़ा वर्ग	70000	5.25
15	29—डी	आवासीय	75.00	पिछड़ा वर्ग	70000	5.25
16	30—डी	आवासीय	75.00	दिव्यांग	70000	5.25
17	11—डी	आवासीय	75.00	पत्रकार	70000	5.25
18	44—एफ	आवासीय	75.00	पत्रकार	70000	5.25
19	40—एफ	आवासीय	75.00	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी / लोकतंत्र सेनानी	70000	5.25
20	46—एफ	आवासीय	75.00	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी / लोकतंत्र सेनानी	70000	5.25
21	271—सी	आवासीय	60.00	सैनिक / भूतपूर्व सैनिक	70000	4.20
22	80—बी	आवासीय	112.50	प्राधिकारी कर्मचारी	70000	7.87

विज्ञप्ति क्र.: 197

दिनांक : 04.10.2024

इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्र. 134 में आवासीय उपयोग के 22 भूखण्डों को भू-स्वामी अधिकार पर न्यूनतम दर के बराबर या अधिक दर पर व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :—

अ. क्र.	विभागीय टेण्डर आय.डी. क्रमांक	भूखण्डों की संख्या	संपत्ति का उपयोग	आरक्षित श्रेणी	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	न्यूनतम दर (रु. प्रति वर्ग मीटर)	अर्नेस्ट मनी (रु. लाख में)
1	Mponline-13	22	आवासीय	निविदा प्रपत्र में संलग्न सूची अनुसार	60.00 से 133.39	70000.00 से 77000.00	4.20 से 10.27

ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी महत्वपूर्ण दिनांक

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	निविदा प्रपत्र क्रय करने का आरंभ दिनांक एवं समय	10.10.2024	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन अर्नेस्ट मनी (प्रतिभूति राशि) जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	28.10.2024	18:00 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन एवं ऑफर प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय	04.11.2024	18:00 hrs.
4	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र जॉच हेतु खोलने का दिनांक एवं समय	05.11.2024	11:30 hrs. Onwards
5	पात्र निविदादाताओं के ऑनलाईन वित्तीय प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	13.11.2024	12:30 hrs.

नोट :—

- निविदा एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल <https://www.vikaspradhikaran.mponline.gov.in> पर देखी एवं क्रय की जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिये आवेदक को पोर्टल पर अपनी लॉग-इन आय.डी. बनाकर प्रोफाईल में आवश्यक जानकारी दर्ज करना होगी। आवेदक ऑनलाईन निविदा स्वयं अथवा एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क सेन्टर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। एम.पी.ऑनलाईन का हेल्प डेस्क नंबर 0755-6720200 है।
- अर्नेस्ट मनी (प्रतिभूति राशि) का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/आरटीजीएस के माध्यम से किया जा सकता है।
- आवेदक को अपनी निविदा मय आवश्यक दस्तावेजों के केवल ऑनलाईन ही प्रस्तुत करना होगी, भौतिक दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करना है।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अर्नेस्ट मनी सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल प्राधिकारी की वेबसाईट <https://www.idaindore.org> पर ही प्रदर्शित किया जावेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राधिकारी को होगा, जिसके लिये कोई कारण नहीं दर्शाया जावेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

